बड़ौदा यू.पी.बैंक
Baroda U.P. Bank

प्र.का./05/निरीक्षण/2024-25/परिपत्र/ २६० दिनांक: 24.01.2025

परिपत्र समस्त शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों के लिए
प्रधान कार्यालय के निरीक्षण विभाग द्वारा जारी

विषय : बैंक में संगामी लेखा परीक्षण (Concurrent Audit) कार्य हेतु सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड/स्केल III,IV व V की सेवायें लिया जाना

बैंक के निम्नलिखित जनपदों में कार्यरत शाखाओं पर संगामी लेखा परीक्षा का कार्य करवाने के लिए बैंक के सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड/स्केल III,IV व V की सेवायें लिए जाने का निर्णय लिया गया है –

1.अम्बेडकर नगर	2.अमेठी	3.औरैया	4.अयोध्या	5.आजमगढ़	
6.बलिया	7.बरेली	8.बस्ती	9.चंदौली	10.देवरिया	11.इटावा
12.फतेहपुर	13.गाजीपुर	14.गोरखपुर	15.जौनपुर	16.कानपुर	
17.कानपुर देहात	18.कौशाम्बी	19.कुशीनगर	20.महाराजगंज	21.मऊ	
22.पीलीभीत	23.प्रतापगढ़	24.प्रयागराज	25.रायबरेली	26.संत कबीर नगर	
27.संत रविदास नगर	28.शाहजहाँपुर	29.सिद्धार्थ नगर	30.सुल्तानपुर	31.वाराणसी	

उक्त हेतु सेवानिवृत अधिकारियों (ग्रेड/स्केल III,IV व V) को सूचीबद्ध करने हेतु पात्रता एवं अन्य शर्तें निम्नवत हैं –

❖ पात्रता :-

- केवल बडौदा यू.पी. बैंक के 31.12.2024 तक सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V आवेदन कर सकते हैं |
- सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V, जो अग्रिम कार्यक्षेत्र में पर्याप्त दक्षता रखते हों, FINACLE system पर कार्य करने हेतु सक्षम हों एवं शाखा प्रबंधक के रूप में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव रखते हों, के आवेदन पर विचार किया जायेगा |
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत अधिकारी, सेवानिवृति की तिथि से प्रथम 05 वर्षो के दौरान संगामी लेखा परीक्षण हेतु 65 वर्ष की आयुसीमा तक पात्र होंगे |
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत अधिकारी संगामी लेखा परीक्षा कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम एवं आवंटित शाखा / शाखाओं पर आवागमन हेतु समर्थ हों |
- पूर्वोक्त श्रेणी के सेवानिवृत अधिकारी को बैंक के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत उपरोक्त जनपदों अथवा समीपवर्ती ज़िले का निवासी होना चाहिए |
- पूर्व में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement), स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement), सेवा से हटाये गए (Removal from service) या बर्खास्त (Dismissal) सेवानिवृत अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अयोग्य / अपात्र माने जायेंगे |
- सेवानिवृत अधिकारी के पास Laptop /Computer System की उपलब्धता आवश्यक है |
- **ऐसे सेवानिवृत अधिकारी जो वर्तमान में बैंक में संगामी लेखा परीक्षण(Concurrent Audit) का कार्य कर रहे हैं, उनकी आयु 65 वर्ष की पूर्ण नहीं हुई है एवं जिनके विषय में सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है , उनको पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।**
- **31.12.2024 को सेवानिवृत अधिकारी की उम्र 60 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक न हो।**

❖ पारिश्रमिक :- प्रतिमाह प्रति शाखा अनुमन्य पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :-

रु. 10 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 8,000/- प्रति शाखा प्रति माह
रु. 10 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 20 करोड़ तक अग्रिम अवशेष वाली शाखायें	रु. 9,000/- प्रति शाखा प्रति माह
रु. 20 करोड़ से अधिक अग्रिम अवशेष एवं जिला मुख्यालय की शाखायें	रु.10,000/- प्रति शाखा प्रति माह

- अग्रिम अवशेष की सीमा के आंकलन हेतु आवंटित शाखा का विगत वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर (अगले वित्तीय वर्ष हेतु) को अग्रिम अवशेष आधार माना जायेगा |

- उक्त धनराशि पर देय जी.एस.टी. का नियमानुसार भुगतान किया जाना अनुमन्य है |

प्रति माह यात्रा व्यय का भुगतान निम्नवत विवरण के अनुसार किया जायेगा –

जिला मुख्यालय की शाखायें	रु. 500/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. दूरी तक की शाखायें	रु. 1,000/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 25 कि.मी. से अधिक परन्तु 50 कि.मी. तक की शाखायें	रु. 1,500/- प्रति शाखा प्रति माह
जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूरी की शाखायें	रु. 2000/- प्रति शाखा प्रति माह

- उपरोक्त पारिश्रमिक / यात्रा व्यय में, सभी आउट आफ पॉकेट व्यय, सेवानिवृत अधिकारी द्वारा आवंटित शाखा और / अथवा नियंत्रक कार्यालय पर भ्रमण और / अथवा आवश्यकता / अनुरोध पर संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी बैठको में भाग लेने हेतु किया गया स्थानीय व्यय सम्मिलित है |
- बैंक द्वारा वित्तपोषित ऋणी की परियोजना / यूनिट / गोदाम सहित बैंक के पक्ष में प्रभारित प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु सेवानिवृत अधिकारी के भ्रमण की व्यवस्था संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा द्वारा की जाएगी |
- संगामी लेखा परीक्षण के लिए सेवानिवृत अधिकारी द्वारा मासिक आधार पर शाखा का भ्रमण किए जाने के साथ प्रत्येक मास में न्यूनतम 5 भ्रमण किये जाने होंगे जिसके लिए पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा |
- मासिक पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान का अनुरोध , सम्बंधित मास हेतु संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रेषित जाना चाहिए |
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु पारिश्रमिक हेतु पारिश्रमिक / यात्रा व्यय का भुगतान सम्बंधित / आवंटित शाखा द्वारा संगामी लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा |

❖ **कार्यदायित्व:-**

- संगामी लेखा परीक्षा करने वाले सेवानिवृत अधिकारी का मुख्य कार्य बैंक द्वारा लेनदेन के साथ – साथ आंतरिक जांच और अन्य सत्यापनों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के प्रयासों में संपूरक की भूमिका निभाना है |
- संगामी लेखा परीक्षा का दायरा प्रयाप्त रूप से बड़ा होना चाहिए जिससे उसमें नकदी की जांच, जमाराशियों, प्रतिभूतियों की सेफ कस्टडी, निवेशों, अतिदेय बिलों, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग, विविध और उच्चंत खाते, अंतर शाखा मिलान, समाशोधन भिन्नताओं, ऋणपत्र और गारंटी जैसे तुलन पत्र से इतर मदें, ट्रेजरी कार्य और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय जैसे धोखाधड़ी की सम्भावना वाले क्षेत्र शामिल हो सकें |
- संगामी लेखा परीक्षा का विस्तृत दायरा स्पष्ट और समान रूप से निर्धारित कर निम्नवत रुटीन परिचालानात्मक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जिनसे सम्बंधित कवरेज की बिन्दुवार मदों का विवरण शाखा आवंटन के साथ सेवानिवृत अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा :-

• Cash	• KYC Compliance & Re-compliance	• Remittances/Bills for Collection
• Opening of Accounts	• Security Forms	• Issue of Chequebook
• Deposits	• Advances	• Letter of Credit/Bank Guarantees
• Housekeeping	• Verification of Credit/Debit Card	• Dormant A/cs activation
• Visit of Aadhar Centre	• Visit at VLE/CSP Centre	• Clearing & Others

❖ **अन्य शर्ते :-**

- संगामी लेखा परीक्षण हेतु पात्र सेवानिवृत अधिकारियों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा और अंतिम रूप से चयनित सेवानिवृत अधिकारियों को सूचीबद्ध (empannel) किये जाने के उपरांत संगामी लेखा परीक्षण हेतु शाखा का आवंटन किया जायेगा |
- सेवाकाल के दौरान जिन शाखाओं पर सेवानिवृत अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है उन शाखाओं का आवंटन संगामी लेखा परीक्षा हेतु नहीं किया जायेगा |
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत अधिकारीयों का सूचीबद्ध किया जाना (Empanelment) और शाखा आवंटन सामान्यतः एक वर्ष के लिए किया जायेगा और आवंटित शाखा में परिवर्तन सहित या परिवर्तन के बिना अवधि विस्तारण संगामी लेखा परीक्षा कार्य सम्बन्धी संतोषजनक कार्यनिष्पादन (Satisfactory performance) के दृष्टिगत बैंक के एकल विवेकाधिकार (sole discretion) के अधीन होगा |

- संगामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी सेवानिवृत अधिकारी के कार्य निष्पादन की समीक्षा आवंटित शाखा से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जाएगी |
- संगामी लेखा परीक्षण हेतु आवंटित शाखा पर हो रहे लेनदेन में material ommission अथवा commission के लिए सेवानिवृत अधिकारी जिम्मेदार होंगे | सेवानिवृत अधिकारी से बैंक के सर्वोतम हित में संगामी लेखा परीक्षण किये जाने की अपेक्षा की जाती है | यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा संगामी लेखा परीक्षा के दौरान किये गए अवलोकन (observation) अस्पष्ट / विरोधाभासी (ambiguous) और / अथवा बैंक के नीतिगत मार्ग निर्देशों के विपरीत न हों तथा बैंकिंग में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अनदेखा न किया गया हो |
- संगामी लेखा परीक्षण करते हुए सेवानिवृत अधिकारी के कार्य में किसी प्रकार का गंभीर ommission या commission एवं संगामी लेखा परीक्षा सम्बन्धी कार्य निष्पादन और / अथवा तत्संबंधी रिपोर्ट की गुणवत्ता संतोषजनक (up to mark) न पाए जाने पर सेवानिवृत अधिकारी का चयन किसी भी समय समाप्त किये जाने का एकल विवेकाधिकार (sole discretion) बैंक के पक्ष में सुरक्षित होगा |

संगामी लेखा परीक्षण कार्य करने के इच्छुक बड़ौदा यू. पी. बैंक के सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड / स्केल - III, IV व V बैंक की Website के Career Option पर उपलब्ध संगामी लेखा परीक्षण एम्पेनलमेंट लिंक पर क्लिक कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 27.01.2025 व अंतिम तिथि 17.02.2025, सायं 05.00 बजे तक है। निर्धारित तिथि 17.02.2025 के बाद आवेदित पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा | केवल हमारे वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई माध्यम यथा ईमेल, Whatsapp, डाक/कूरियर, हार्ड कॉपी इत्यादि के माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा | संगामी लेखा परीक्षण हेतु सेवानिवृत आधिकारियों को सूचीबद्ध (empanelment) सम्बन्धी साक्षात्कार की सूचना अलग से दी जाएगी | अंतिम रूप से चयन उपरांत सूचीबद्ध (empannel) सेवानिवृत अधिकारियों को चयन सम्बन्धी पत्र सेवा शर्तों सहित जारी किया जायेगा |

सभी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयो से अनुरोध है कि इस परिपत्र / विषयवस्तु को सभी सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V की जानकारी में लायें एवं शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें | शाखाओं / कार्यालयों पर कार्यरत कार्मिकों के संज्ञान में भी इस परिपत्रों की विषयवस्तु लायी जाये जिससे वे अपने संपर्क में आने वाले सेवानिवृत अधिकारियों को अवगत करा सकें और अधिकाधिक / इच्छुक सेवानिवृत अधिकारी ग्रेड / स्केल III, IV व V तत्संबंधी आवेदन कर सकें |

भवदीय

24/1/25

(सर्वेश कुमार सिन्हा)
महाप्रबंधक

प्रधान कार्यालय : बुद्ध विहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016, टेली. 0551-2230240
Head Office : Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur - 273016, Tel. 0551-2230240
e-mail : ho@barodauprrb.co.in